

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2017/पौष 15, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 299
No. 01]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2017/PAUSA 15, 1938	[N.C.T.D. No. 299

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

सं. फा. 11(99)/2005/ऊर्जा/31.— गृह मंत्रालय के दिनांक 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 217(अ) के साथ पठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (जेडकेए) तथा विनियम 43 के उप-विनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी समस्त अन्य अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा उक्त विनियमों के विनियम 30 तथा 43 के अन्तर्गत विद्युतीय सुरक्षा अभियन्ता के माध्यम से स्वामियों द्वारा नये तथा वर्तमान विद्युतीय संस्थापनाओं के लिये स्व-प्रमाणन के प्रयोजन हेतु 33 के.वी. तक वोल्टेज अधिसूचित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,
सुधीर शर्मा, उप-सचिव (ऊर्जा)

DEPARTMENT OF POWER
NOTIFICATION

Delhi, the 4th January, 2017

No. F. 11(99)/2005/Power.—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (2) of regulation 43 and clause (zka) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification no. S.O. 217(E) dated 20th February, 2004 and in supersession of all other notifications issued in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby notifies the voltage upto 33 KV for the purpose of self-certification for new and existing electrical installations by the owner through Electrical Safety Engineers under regulation 30 and regulation 43 of the said Regulations.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SUDHIR SHARMA, Dy. Secy. (Power)